न्यायालय :– अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, मधेपुरा।

अग्रिम जमानत आवेदन सं0:– 1339 / 2025
उत्पन्न महिला थाना काण्ड सं0– 28 / 2025

1. नीलु कुमारी	उम्र लगभग 26 वर्ष,	पिता–सुभाष यादव
साकिन–रहिका टोला,	थाना–मुरलीगंज,	जिला–मधेपुरा
		आवेदक / अभियुक्त

बनाम्

बिहार सरकार — विपक्षी

अग्रिम जमानत आदेश

16–03–2026 आवेदिका नीलु कुमारी का अग्रिम जमानत आवेदन जो महिला थाना काण्ड संख्या–28 / 2025 से संबंधित है तथा धारा–85, 115(2), 126(2), 352, 351(2), 351(3), 3(5) बी0एन0एस0 के अन्तर्गत दर्ज की गई है। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भूनाथ शर्मा द्वारा दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को प्रचालित किया गया।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि आवेदिका अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष है जिसने ऐसा कोई घटना कारित नहीं किय है। आवेदिका को झूठा और मनगढंत केस मे गलत फंसाया गया है। घटना के संबंध मे मुकदमा असमान्य रूप से विलम्ब दर्ज कराया गया है। वादिनी के पति अजय कुमार यादव के दूसरे विवाह जो 2016 मे आवेदिका से हुई जिसमें सूचिका की भी सहभागिता है परंतु 9 वर्षो के उपरांत गलत ढंग से मामला बनाया गया है। विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदिका की कांड में कोई संलिप्तता नहीं है तथा एक गृहणि है जिसके फरार होने की संभावना नहीं है। अतः आवेदिका को अग्रिम जमानत दिये जाने की कृपा की जाए।

विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

उभय पक्षों को सुना। प्राथमिकी एवं निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि प्राथमिकी धारा– 85, 115(2), 126(2), 352, 351(2), 351(3), 3(5) बी0एन0एस0 के अन्तर्गत दर्ज की गई है। प्राप्त निम्न न्यायालय मे संलग्न कांड दैनिकी के पारा 32 से स्पष्ट है कि आवेदिका को महिला थाना द्वारा नोटिस निर्गत कर धारा 35(3) बी0एन0एस0एस0 के तहत कार्रवाई कर मुक्त किया गया है। ऐसे मे आवेदिका के गिरफ्तार होने की संभावना समाप्त हो चुकी है।

अतः आवेदिका की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पोषणीय नहीं है। अस्तु आवेदिका की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को पोषणीय नहीं होने के कारण इस निर्देश के साथ **निष्पादित** किया जाता है कि वह विचारण न्यायालय मे आत्मसमर्पण करें और विचारण न्यायालय वाद के गुणागुण (Merit) के आधार पर जमानत याचिका निष्पादित करेंगे।

लेखापित

Satish Kumar 16.03.26

(सतीश कुमार)
अपर सत्र न्या0–2, मधेपुरा।